न्यायालय सत्र न्यायाधीश, महोबा।

पीठासीन अधिकारी—देवेन्द्र सिंह.प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा—UP6554

UPMB010023642022

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—1144/2022

गुजरात उम्र 22 वर्ष पुत्र राजकुमार डोम, निवासी ग्राम औराई, थाना औराई, जिला भदोही, उ0प्र0। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश। .....विपक्षी।

एवं

UPMB010023652022

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या—1145/2022

आकाश उम्र 21 वर्ष पुत्र शशि डोम, निवासी ग्राम राजापुर, थाना औराई, जिला भदोही, उ0प्र0। .....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

सरकार उत्तर प्रदेश। .....विपक्षी।

अ0सं0—332/2022
धारा—380, 411 भा0दं0वि0
थाना—महोबा, जिला महोबा।

10.10.2022

उपरोक्त दोनों जमानत आवेदन पत्र एक ही मुकदमा अपराध संख्या से सम्बन्धित है। अतः सुविधा की दृष्टि से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या—332/2022 अन्तर्गत धारा 380, 411 भा0दं0वि0, थाना महोबा, जिला महोबा के अभियुक्तगण गुजरात व आकाश की ओर प्रस्तुत किये गये हैं, जो कि उनकी पैरोकार श्रीमती गुड़िया द्वारा दिये गये शपथपत्र से समर्थित है।

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा भजीदुल इस्लाम खॉ पुत्र स्व0 अनवारूल इस्लाम खॉ, निवासी मुहल्ला मकनियापुरा, थाना कोतवाली नगर महोबा, जिला महोबा द्वारा दिनांक 13.08.2022 को समय

Digitally signed by Devendra Singh
Date: 2022.10.11 10:48:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

14.06 बजे थाना कोतवाली नगर महोबा में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी कि दिनांक 19.07.2022 को वह अपनी रिश्तेदारी में कस्बा राठ, जिला हमीरपुर अपने परिवार सहित शादी समारोह में सम्मिलित होने गया था। शादी का कार्यक्रम सम्पन्न होने के बाद दिनांक 22.07.2022 सुबह 10.30 बजे अपने घर आया, तब उसने देखा कि उसके घर के कमरों के ताले टूटे हुये हैं। अज्ञात चोर द्वारा उसके घर में सोने–चांदी के आभूषण पीतल तांबे के बर्तन और रूपया की चोरी हो गई थी, उसने मुहल्ले में कई लोगों से जानकारी किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। उक्त आधारों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध दर्ज करायी गयी।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क किया गया कि वे निर्दोष हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। उनकी गिरफ्तारी शहर के बीचों–बीच है और वहां पर घनी आबादी है, इसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस ने जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया है, जिससे घटना असत्य व झूंठी प्रतीत होती है। अभियुक्तगण का इस घटना के पूर्व कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियुक्तगण एक कचरा बीनने वाले गरीब तबके के व्यक्ति हैं। उनके कब्जे से कोई भी पीतल व सफेद धातु की कोई भी वस्तु बरामद नहीं हुई है। उनके द्वारा वादी के घर से चोरी नहीं की गयी है। उपरोक्त घटना में पुलिस ने सामूहिक अभियुक्तों से बरादमगी दिखायी है। किसी भी विशेष अभियुक्त के पास से क्या बरामद हुआ है, फर्द बरामदगी में नहीं दर्शाया है, जिससे भी घटना संदिग्ध प्रतीत होती है। अभियुक्तगण दिनांक 14.08.2022 से जिला उपकारागार महोबा में निरूद्ध है। अतः उन्हें दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जाये।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया। उन्होंने अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

उभयपक्ष के तर्को को सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज है। दिनांक 14.08.2022 को पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से एक नायलान की बोरी में पीतल व स्अील के बर्तन चोरी के, 05 अदद सिक्के सफेद धातु, 01 मछली सफेद धातु, एक झूमर पीली धातु, दो चूड़ी सफेद धातु, एक जंजीर मय लाकिट सफेद धातु, एक जोड़ी झूमकी पीली धातु, एक अंगूठी पीली धातु एवं एक जंजीर पीली धातु बरामद होना बताया गया है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अभियुक्तगण दिनांक 14.08.2022 से जेल में निरूद्ध हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध कथित अपराध की सत्यता मामले में विचारण का विषय है। इस स्तर पर मामले के गुण–दोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण गुजरात व आकाश के जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जात हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण उपरोक्त में से प्रत्येक द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि के दो जमानतदारों की जमानत सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के समक्ष उनकी संतुष्टि के अनुरूप दाखिल किये जाने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

जमानत आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1145/022 की पत्रावली में रखी जाये।

(देवेन्द्र सिंह–प्रथम),
सत्र न्यायाधीश,
महोबा।
10.10.2022